LAYOUT OF MANAVASHRAM COLONY

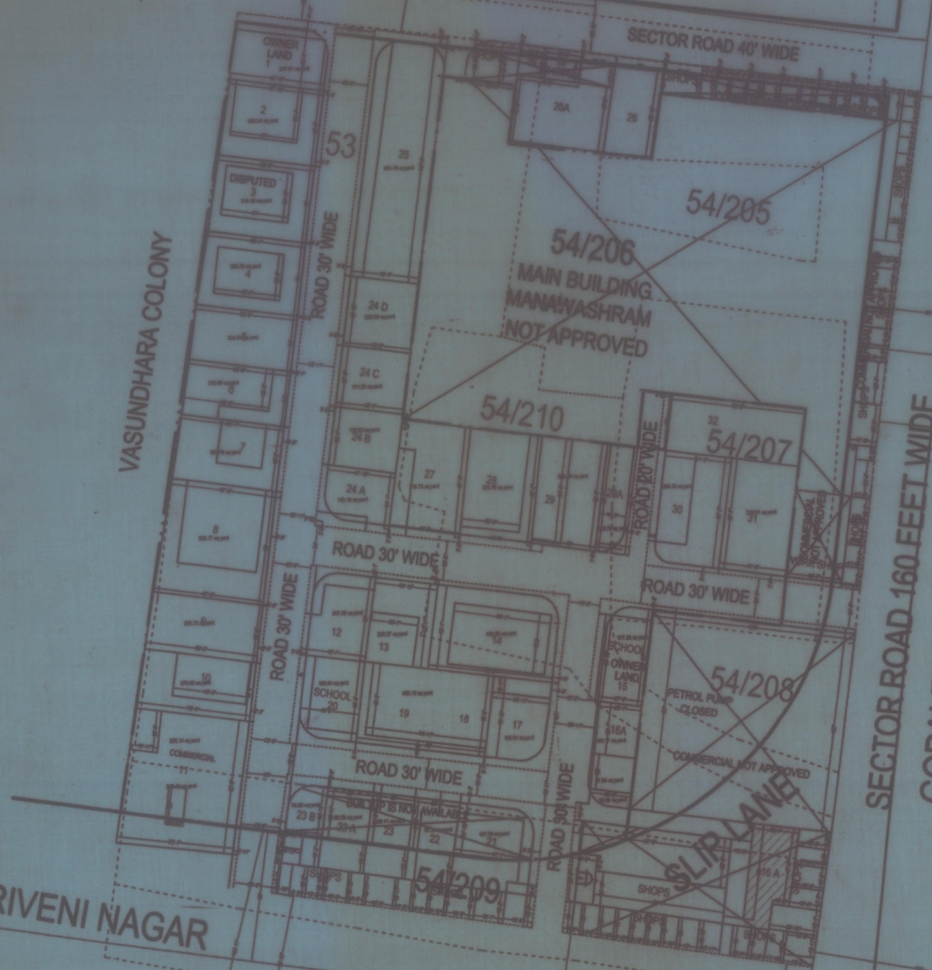

(प्रावधान शहरी के योग अधिनियम-2012)

भूमि भूमि पर बनी अवैधानिक भवन पुन: नियमित संशोधनी भवनिति की सामान्यीकृत योजना भवन आवास के नियमन की योग्य स्थानीय परिस्थिति को ध्यान रखकर नियमित नियमन

1.	आवेदक का नाम	आवेदक भवन पुन: नियमित संशोधनी भवनिति के अंतर्गत भवन आवास
2.	आवेदक का पूरा	आवेदक भवन पुन: नियमित संशोधनी भवनिति
3.	भवन के विवरण सहित भवन का प्रकार	प्लॉट भूमि/भू रिकॉर्ड अनुसार के खसरा नं. 53 व 54/205 से 54/210 तक 54/205 से 54/210 तक भवन व दीवार का विवरण ये के संबंधित वर्ष तक
4.	20 'ए' का के नियमन	प्लॉट आवेदक व दीवार का विवरण की 20 'ए' की कार्यवाही दिनांक 20.05.2013 को ही पूर्ण है।
5.	भूमि का पू प्रयोजन	प्लॉट भवन आवास के अनुसार प्लॉट भूमि का पू प्रयोजन आवासीय और व्यावसायिक है।
6.	आवासीय विवरण	प्लॉट योजना का 53 भूखण्ड के विवरण कुल आवास 2017.22 वर्ग गज है।
7.	वाणिज्य विवरण	

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	3477.05	82.18
2.	दुकानें	389.25	9.20
3.	सड़क	3382.45	32.83
4.	ओनर्स लैण्ड	492.94	2.94
	कुल	15241.69	100

8. प्रथम योजना की भूमि का योजनाधार 20 पी ने ही अनुसार 9 योजना 20 नियम तथा योजना भवनिति के अनुसार 15241.69 वर्ग गज है।

9. योजना के पूर्व दिशा में पुराना वाली भवन योजना भवन के अनुसार 100 फीट चौड़ी, पश्चिम दिशा की ओर 60 फीट भवन और दक्षिण दिशा की ओर पुराना वाली सड़क भवन भवन 2025 के अनुसार 100 फीट चौड़ी व्यवसाय रखे जाने का निर्णय लिया गया।

10. योजना के दक्षिण दिशा की ओर भवन भवन 2025 के अनुसार पुराने वाली सड़क 100 फीट चौड़ी चौराहे के कोने पर 60 मीटर वर्ग त्रिज्या रोड के दोनों रखे जाने का निर्णय लिया गया।

11. प्रथम योजना में सभी सड़कों 30 फीट रखने का निर्णय लिया गया है एवं पुराना सड़क 20 ए और 20 बी रोड की सड़क को 30 फीट करने का निर्णय लिया गया।

12. योजने पर आने वाली पुरानी, आई से से पेट्रोल पम्प की भूमि, पाल दिया गया रोड एवं पुराना भवन भवन आवास योजना में सम्मिलित नहीं है। इसलिए इन भूखण्डों का नियमन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

13. योजना में लिया पुराना योजना 1 से 20, 25 का नियमन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

14. भूखण्ड संख्या 1 और 15 योजना में सम्मिलित नहीं है। अत: इनका अनुमोदित मानचित्र में नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

15. भूखण्ड संख्या 3 की डायमापर निर्देशक भूमि में विवादास्पद संख्या 54/207 दिखायमान है। इस डायमान का नियमन होने के बाद ही भूखण्ड का निर्णय अनुसार नियमन किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

16. जिन भूखण्डों में सड़क प्रभावित है, उन भूखण्डों के नियमन का विचार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

17. पेट्रोल पंप और भवन भवन पेड़ों के कारने के बाद जिन भूखण्डों को सिल-अन नहीं किया गया है, उनका नियमन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

18. भूखण्ड संख्या 20-ए को सड़क मार्ग नहीं निकला है, क्योंकि उक्त भूखण्ड के सामने स्थित द्वार भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा चुका है। अत: अगर भूखण्ड संख्या 20-ए के सामने द्वार उक्त भूखण्ड तक जाने के लिये सड़क मार्ग द्वार कर लिये जाने की स्थिति में ही नियमन पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

19. योजना में कॉलनी के भूखण्डों को कार्य नियम भवन से पूर्व नियमानुसार कार्य का योजनाधार कर लिया जाना है।

20. प्रथम योजना के भूखण्डों पर रेट रैशन भवन विनियम 2011 के अनुसार देय होंगे।

प्रावधान शहरी के योग अधिनियम-2012 के अन्तर्गत पूर्व भवनीय नियमन विभाग, प्रावधानभवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक प-क्षेत्र) भवनि/1/2012 दिनांक 03.01.2012 में प्रथम श्रेणियों के सहन एवं प्रथम प्रवेशन नोट के निर्णयों के अनुसार प्रथम योजना भवन आवास को ZLC का नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सहायक भवन नियोजक जोन-6	सहायक भवन नियोजक जोन-6	उपखण्ड अधिकारी जोन-6

JDA JAIPUR

137
2

KEY PLAN OF MANAWASHRAM

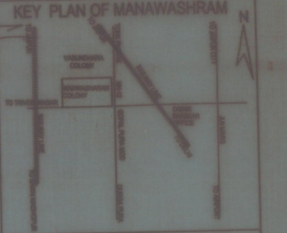

S.NO.	KHASRA NO.	AREA OF KHASRA
1	54/205	780.32
2	54/207	1012.10
3	54/208	77.12
4	54/209	1593.36
5	54/210	1007.22
6	-53	9251.58
7	TOTAL	15241.69 SQ.YARDS

AREA ANALYSIS :-

S. NO.	LAND USE	AREA	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	9477.05 SQ YARDS	62.18 %
2	ROAD	5005.45 SQ YARDS	32.83 %
3	SHOPS	359.25 SQ YARDS	2.35 %
4	OWNER LAND	492.94 SQ YARDS	2.94 %
	TOTAL AREA	15241.69 SQ YARDS	100 %

मानचित्र मार्गों के अनुसार भू उपयोग

क्र.सं.	भूखण्डों का विवरण	भूखण्ड संख्या
1	पूर्व/पश्चिम दिशि भूखण्ड G	33
2	उत्तर दीवारी दिशि भूखण्ड C.W.	4
3	खाली भूखण्ड V	0
4	कुल भूखण्ड	37

प्रस्ताव की सीमांकित प्लॉट/भूमि पर मानवर विनियम योजना 2011 की सहायी भू उपयोग एवं योजनाधार भूखण्डों के संबंधित पूर्ण प्लॉट का विवरण योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

स्वामित्व का प्रमाण — तकनीक अधिकारण का प्रमाण
जिला भू- — जोन-6

प्रस्ताव की भूमि की राजस्वकाय अभिलिखन की सत्य प्रतियों की सत्यापित पूर्व सीमांकित पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की भूमि भूमि अभिलेखन में चिह्नित की पुष्टी है।

उपखण्ड अधिकारी जोन-6	उपखण्ड जोन-6

तहसीलदार / पंचायत समिति की रिपोर्ट सं. _____
दिनांक _____
की अनुशासन में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :- APNA MANAR C.H.S.S.

NAME OF SCHEME :- MANAWASHRAM

JEN	AMIN/PATWARI	TEHSILDAR
ATP	TEHSILDAR	DC
STP(BPC-LP)	ACTP(BPCL-LP)	

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO.
53 , 54/205 , 54/206 , 54/207 ,
54/208 , 54/209 , 54/210

ZONE-6
JDA JAIPUR

SCALE:- 1" = 50' | DRAWING NO.:-

DEDICATED CONSULTANTS :-

THE FORMS , JAIPUR

Ar. KAVITA JAIN
CA/86/20250